



Neutral Citation No. - 2026:AHC:17285

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 44656/2025

शिव शंकर

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याची के अधिवक्ता: रविंद्र प्रसाद वर्मा

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: आजाद राय, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याची के विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं 2 की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आजाद राय को सुना एवं मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यहाँ प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, विपक्षी को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि विपक्षी इस आदेश से व्यथित महसूस करता है/करती है, तो आदेश के संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. वर्तमान रिट याचिका में याची द्वारा मांगी गई मूल राहत प्रत्यर्थी संख्या 2/उप जिलाधिकारी, करछना, जिला प्रयागराज को यह निर्देश देने के लिए है कि वह याची द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन/वाद दिनांक 09.05.2025 को निर्धारित अवधि के भीतर तय करें।
4. याची के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उप-धारा (3) के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार, इस प्रकार के आवेदनों को समयबद्ध अवधि के भीतर तय किया जाना चाहिए। धारा 24 की उप-धारा (3) इस प्रकार है:- "(3). इस धारा के अधीन प्रत्येक कार्यवाही, जहाँ तक संभव हो, उप-जिलाधिकारी द्वारा आवेदन की तिथि से तीन महीने के भीतर संपन्न की जाएगी।"
5. आगे यह तर्क दिया गया है कि हालांकि उपर्युक्त अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।
6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान रिट याचिका को प्रत्यर्थी संख्या 2/उप जिलाधिकारी, तहसील करछना, जिला प्रयागराज को यह निर्देश देते हुए अंतिम रूप से

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



निस्तारित किया जाता है कि वह उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उप-धारा (3) के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त वाद को तय करें, यदि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

27 जनवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"